न्यायालयः- श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर

पुन. प्र०क्र०

ता. पेशी

R-43-III/14

लक्ष्मन सिंह ठाकुर पिता भगवान सिंह ठाकुर {फौत}

द्वारा:- वारसान

1. श्रीमति उर्मिला ठाकुर उम्र 35 साल बेवा स्व. श्री लक्ष्मणसिंह ठाकुर

2. अनुकूलसिंह ठाकुर उम्र 14 साल नाबालिग

पिता स्व. श्री लक्ष्मणं सिंह ठाकुर वली व वादमित्र माँ उर्मिला ठाकुर

3. कुमारी मुस्कान ठाकुर उम्र 9 साल ना. बा.

पिता लक्ष्मणं सिंहठाकुर वली व वादमित्र माँ उर्मिला ठाकुर

4. आयुष सिंह नाबालिग उम्र 7 साल पिता स्व. श्री लक्ष्मणं सिंह

ठाकुर वली व वादमित्र माँ उर्मिला ठाकुर

सभी का साकिन ग्राम नंदरई तहसील पथरिया जिला दमोह

-- पुनरीक्षण कर्तागण

बनाम

सुधाकर राव सप्रे पिता गोविन्दराव सप्रे

सा. किन्द्रहो हाल वार्ड नं. 1 पथरिया तह. पथरिया

जिला दमोह ----- उत्तरवादी

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू. रा. सं.

पुनरीक्षण कर्ता गण न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय पथरिया जिला दमोह द्वारा रा. अ. प्र. क्र. 23अ/6 वर्ष 2011-12 में पारित आदेश दिनांक 21.10.2013 से दुखित एवं पीडित होकर अन्य आधारो के अलावा निम्न आधारो पर अपनी यह पुनरीक्षण पेश करते है :-

:/: प्रकरण के तथ्य :/:

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि न्यायालय श्रीमान

R-43 III/14 G416

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
29.4.2014	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी पथरिया व्दारा प्र.क. 23 अ 6/11–12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–10–13 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	

2/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अनावेदक व्दारा 2 वर्ष 3 माह से अधिक विलम्ब से अपील प्रस्तुत हुई, जिस पर आवेदकगण की आपत्ति स्वीकार न करके अपील समयावधि में मानने में भूल की है इसलिये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 21–10– 3 निरस्त किया जावे।

3/ आवेदक के अभिभाषक व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 21.10.13 के अवलोकन से पाया गया कि उन्होंने अनावेदक व्दारा प्रस्तुत अपील में हुये विलम्ब को इसलिये क्षमा किया है क्योंकि विचारण न्यायालय में अनावेदक पक्षकार नहीं था। विचार योग्य बिन्दु है कि अनुविभागीय अधिकारी ने प्रस्तुत अपील को समयावधि में मानने में किसी प्रकार की त्रुटि की है ?

1. भू राजस्व संहिता 1959 (म.प्र.)–धारा 47 एंव परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 – पर्याप्त कारण होने से न्यायालय बैवेकिक अधिकारिता का प्रयोग कर विलम्ब क्षमा कर सकता है– उद्घोषणा तथा समन विधि के अनुसरण में नहीं होने पर विलम्ब माफ किया जायेगा।
2. परिसीमा अधिनियम, 1963– धारा 5 एंव भू राजस्व संहिता 1959(म.प्र.) –धारा 47–सामान्यतः तकनीकी आधार पर मामले के गुणागुण की उपेक्षा नहीं की जाना चाहिये एंव पर्याप्त कारण पाये जाने पर उदार–रूख अपनाया जाकर विलम्ब क्षमा करना चाहिये।

क्रमश : —

शाक्षमुग्वा—320—फॉर्म्स—21-9-12—5,000 प्रपत्र.

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण कमांक : 43/III/ 2014

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर

जिला दमोह

3/ उक्त कारणों से अनुविभागीय अधिकारी पथरिया व्दारा प्र.क. 23 अ 6/11–12 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 21–10–13 विधिवत् होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अतः निगरानी अमान्य की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजी जावे। प्रकरण अंक से क्रम किया जाकर रिकार्ड रूम में जमा किया जाय।

23/4/14

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर